

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2852

मद कर्मांक 1

अधिवक्ता के देयक भुगतान हेतु ₹ 18.98 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 2

शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹ 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 3

प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष की स्थापना योजनान्तर्गत ₹ 1.90 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 4

मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान मद के अंतर्गत ₹ 53.43 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 53,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।